अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 की मंशा के अनुरूप प्राधिकरण द्वारा किये गये संशोधन

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति के अन्तर्गत प्रस्ताव (2.1.8)

ऐसी औद्योगिक इकाईयाँ जो कि उत्पादनरत है तथा 5 वर्ष के उपरान्त वे अपनी उपलब्ध अतिरिक्त भूमि को किसी औद्योगिक प्रयोजन हेतु अन्य कम्पनी या संस्था को हस्तान्तरित करना चाहती है जिसमें उनकी न्यूनतम 51 प्रतिशत की सहभागिता हो, को भूमि हस्तान्तरण शुल्क, सब डिवीजन चार्जेज एवं लैबी चार्जेज से मुक्त रखा जायेगा जिससे कि भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकें।

प्राधिकरण द्वारा संशोधन

प्राधिकरण में वर्तमान में सामान्यतः भूखण्डों का उप-विभाजन अनुमन्य नही है। शासन के निर्देशों के क्रम में यह व्यवस्था अनुमन्य की गयी है कि जो औद्योगिक इकाईयाँ लगातार 5 वर्ष से उत्पादन में हैं एवं अपनी इकाई को किसी अन्य इकाई जिसमें मूल इकाई की अंशधारिता कम-से-कम 51% हो, उनमें कोई हस्तान्तरण शुल्क देय नही होगा। परन्तु नई औद्योगिक इकाई को उचित विधिक प्रलेख का निष्पादन कराना होगा।

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति के अन्तर्गत प्रस्तावः (3.1.6)

औद्योगिक क्षेत्रों व औद्योगिक आस्थानों के भूखण्डों के मूल्य, हस्तान्तरण, शुल्क, विलम्ब से निर्माण पर दण्ड, आदि विभिन्न प्रकार की दरों की युक्तिसंगत तथा उद्योगपूरक बनाया जायेगा।

प्राधिकरण द्वारा संशोधन

1. **कार्यशील इकाईयों से हस्तान्तरण शुल्क वर्तमान प्रचलित प्रीमियम का 4% तथा अकार्यशील इकाईयों से हस्तान्तरण शुल्क वर्तमान प्रचलित प्रीमियम का 5% लिया जायेगा, जो कि पूर्व में कार्यशील इकाईयों हेतु 8% तथा अकार्यशील इकाईयों हेतु 10% था।**

2. निर्धारित समयावधि में इकाई कार्यशील न करने पर विलम्ब से कार्यशील करने का अर्थदण्ड निम्नानुसार निर्धारित किया गया है, जो कि पूर्व की दरों से काफी कम है।

	Phase-I (Rs. Per sq.mtr)	Phase-II	Phase-III
For 1st year Extension	50	15	25
For 2nd year Extension	100	25	50
For 3rd year Extension	100	25	50
For 4th year Extension	100	25	50
For 5th year Extension	100	25	50
For 6th year Extension	100	25	50
For 7th year Extension	100	25	50
From 8th year onwards	150	50	100